बिन्दु–4: अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;

1) मण्डी समितियों के कार्य संचालन तथा उनके कार्य–कलापों, जिनके अन्तर्गत ऐसी समितियों द्वारा नये मण्डी स्थलों के निर्माण वर्तमान मण्डियों तथा मण्डी क्षेत्रों के विकास के लिये व्यवसायी कार्यक्रम भी हैं, तथा पर्यवेक्षण और नियन्त्रण;
2) समितियों को सामान्य रूप से अथवा किसी समिति को विशेषतः उसकी दक्षता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य में निदेश देना;
3) कोई अन्य कृत्य जो उसे अधिनियम द्वारा सौंपे जायें,
4) ऐसे अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा परिषद् को सौंपे जाऐं।

2) पूर्ववती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्ति भी होगी–

1) मण्डियों के विकास के लिये समितियों द्वारा चुने नये स्थलों के प्रस्तावों का अनुमोदन करना।
2) स्थल नक्शों और समिति द्वारा व्यवस्थित निर्माण कार्यक्रमों के तखमीने तैयार करने में समितियों का पर्यवेक्षण तथा पथ प्रदर्शन करना।
3) परिषद की निधि पर समस्त निर्माण कार्यों को निष्पादित करना।
4) ऐसे प्रपत्रों में जो नियत किये जायें, लेखा रखना और उनकी लेखा परीक्षा ऐसी रीति से जैसी परिषद् के विनियमों में निर्धारित की जाये, करना।
5) वर्ष की समाप्ति पर अपनी प्रगति रिपोर्ट, पक्का चिट्ठा तथा शक्तियों और दायित्वों का विवरण–पत्र प्रति वर्ष प्रकाशित करना और उनकी प्रतियां परिषद् के प्रत्येक सदस्य यथा सभी मण्डी समितियों के सभापतियों को भेजना।
6) कृषि उत्पादन के विनियमित क्रय–विक्रय से सम्बद्ध विषयों का प्रचार तथा विज्ञापन करने के लिये आवश्यक प्रबन्ध करना।

26–प. परिषद के दायित्वों की प्राथमिकता– परिषद् के राजस्व का उपयोग उसके व्ययों को कर लेने के पश्चात् जहां तक उपलब्ध हों, निम्नलिखित क्रम से किया जायेगा–

1) बन्ध–पत्र जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति न दी गई हो, मूलधन और उनके व्याज का प्रतिदान करना;
2) निधि–पत्र जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति न दी गई हो, के मूलधन और उनके व्याज का प्रतिदान करना;
3) बन्ध–पत्र, जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी गई हो, के मूलधन तथा उनके व्याज का प्रतिदान करना,
4) निधि–पत्र जो इस प्रकार प्रत्याभूति हो, के मूलधन तथा उनके ब्याज का प्रतिदान करना;
5) राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति, यदि कोई हो, के अधीन दी गई धनराशियों के मूलधन तथा उनके ब्याज का प्रतिदान करना;
6) राज्य सरकार द्वारा परिषद् को दिये गये ऋण के मूलधन और उस पर ब्याज का जिसके अन्तर्गत ब्याज की बकाया भी है, प्रतिदान करना।

26–फ. लेखे और लेखा परीक्षा– (1) परिषद् के वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्य–कलापों के कार्यक्रम का यथास्थिति, एक विवरण–पत्र अथवा अनुपूरक विवरण–पत्र तथा उसके सम्बन्ध में एक वित्तीय तखमीना उस वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व तैयार करेगी तथा उसके दौरान किसी समय तैयार कर सकती है और उन्हें सरकार को ऐसी रीति से तथा ऐसे दिनांक तक जैसी वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे, उसके पूर्वानुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।

(2) परिषद उचित लेखाबही और अपने लेखों के सम्बन्ध में अन्य बहियां रखवायेगी और वार्षिक पक्का चिट्ठा तैयार करेगी।

(3) परिषद के लेखों की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी, जैसा राज्य सरकार सामान्य विशेष आदेश द्वारा निदेश दे और इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक को सभी विषयों के सम्बन्ध में लेख्यों को प्रस्तुत किये जाने और सूचना दिये जाने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

(4) लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित परिषद के लेखे और उसके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भेजे जायेंगे जो उनके सम्बन्ध में परिषद की ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो वह उचित समझे, और परिषद् ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

(5) राज्य सरकार–

(क) उपधारा (4) के अधीन उसे प्राप्त परिषद् के लेखे, उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, प्रतिवर्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य के समक्ष रखवायेगी, और

(ख) परिषद् के लेखे को ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगी जैसा वह उचित समझे।